रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)—73

REGISTERED No. D.(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 1981/आषाढ़ 13, 1903

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1981/ASHADHA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून 1981

सा० का० नि० 611:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह घ पद) भर्ती नियम, 975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह घ पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह घ पद) भर्ती नियम, 1975 में नियम 4क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4 क चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने का दायित्व : इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेगा ;

परन्तु प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य तथा उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण स्तर को ध्यान में रखते हुए महासमादेष्टा, होमगार्ड, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके ऐसी अवधि को घटा कर दो वर्ष कर सकेगा।"

[फा० सं०-ए-12018(1)/75 प्रशा० II (वि० का०)]

एच. जी. मंडल, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 9th June, 1981

G.S.R 611.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs and Legislative Department (Group D posts) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs and Legislative Department (Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून 1981

सा॰ का॰ नि॰ 619.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा बी॰ सी॰ जी॰ वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी मद्रास में कतिपय अराजपत्रित अनुसचिवीय और अनुसचिवीय समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : 1. इन नियमों का नाम बी॰ सी॰ जी॰ वैक्सीन प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 है।
   2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. उपयोजन : ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें आदि : उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में निर्दिष्ट है।

5. अनर्हता : कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कार्यालय अधीक्षक	*1 (एक)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	550-20-650-25-750 रुपये	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[illegible]

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	प्रोन्नति हेड क्लर्क ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण . केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी जो समान पदों पर कार्य कर रहे हों अथवा 425–700 रुपये के वेतनमान अथवा समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों और प्रशासनिक/लेखा संबंधी कार्य का अनुभव रखते हों (साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं)।	1 निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला—अध्यक्ष 2 दो उप-सहायक निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास—सदस्य 3 सीनियर सहायक निदेशक, किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार गिंडी मद्रास—सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं० 12018/3/78-प्रशा०—II/पी०एच०]
पुष्पा जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th June, 1981

G.S.R. 619.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain non-gazetted Ministrial & non-Ministerial Group 'C' posts in the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely :—

1 Short title and commencement :—(1) These rules may be called the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guiny, Madras (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexure to these rules.

3. Number of posts, Classification and scale of Pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of Recruitment, age limit and qualifications etc. :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection Post	Whether benefit of added years admissible under rule 30 of the CCS (Pension) rules 1972)	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Office Superintendent	*1 (one)	General Central Service Group 'C' Non-gazetted	Rs. 550-20-650-25-750	Non-Selection	No	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any	Method of rectt whether by direct rectt. or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
1. Not Applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation	Promotion : Head Clerk with 5 years regular service in the grade. Transfer on deputation : Officer under the Central Govt. holding analogous posts or with five years' service in the post in the scale of Rs.425-700 or equivalent scale experience in administration/ accounts matters (Ordinarily not exceeding 3 years).	1. Director, B.C.G. Vaccine Laboratory —Chairman 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras —Members. 3. Assistant Director (Senior) King Institute, Guindy, Madras —Member.	Not Applicable

[No. 12018/4/78-Admn. II/PH]
PURNIMA JAIN, Under Secy.